



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-24072026-274664
CG-TL-E-24072026-274664

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3799]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2026/आषाढ 29, 1948

No. 3799]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2026/ASHADHA 29, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 16 जुलाई, 2026

का.आ. 3968(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, तेलंगाना राज्य के निर्मल जिले में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् “मुदखेड-डोन दोहरीकरण” के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितप्रद्ध कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (1) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी और भूमि अधिग्रहण अधिकारी, भैंसा को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा.

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकता है.

अनुसूची -I

तेलंगाना राज्य के निर्मल जिले में विशेष रेलवे परियोजना, “मुदखेड-डोन दोहरीकरण” के लिए किसी संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण.

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : यात्री और माल सुविधा के लिए निर्मल जिले के क्षेत्राधिकार के सीमा के भीतर मुदखेड-डोन सेक्शन के बीच रेलपथ दोहरीकरण.

क्र.सं.	भूमिधारक का नाम	एजॉयर	सर्वेक्षण सं.	भूमि अधिग्रहण	गांव
1	संतोष सोमानी सुपुत्र राम गोपाल	संतोष सोमानी सुपुत्र राम गोपाल	40	एकड़ 0-07.75 गुंटा	रवींद्रपुर
2	दुब्बाका दशरथ गौड़ सुपुत्र करेन्ना	पडवा (बंजर)	544	एकड़ 0-03 गुंटा	बासर
			कुल	एकड़ 0-10.75 गुंटा	

[फा. सं. W.Con.182/SRP-06/MUE-DHNE/23-24/247/20A/16072026]

मोहित वर्मा, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-V

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 16th July, 2026

S.O. 3968(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereafter referred as in as the said Act), Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, Mudkhed - Dhone Doubling in Nirmal district in the state of Telangana, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub- section (1) of section 20D of the said act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely Revenue Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Bhainsa in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE-I

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, Mudkhed - Dhone Doubling in Nirmal district in the state of Telangana

Description of Land in Acquisition: Doubling track between Mudkhed – Dhone Section within the limits of Nirmal District Jurisdiction for passenger and freight facility.

Sl. No.	Name of the Land Holder	Enjoyer	Sy.No.	Land Acquisition	Village
1	Santosh Somani S/o Ram Gopal	Santosh Somani S/o Ram Gopal	40	Ac 0-07.75 Gts	Ravindrapur
2	Dubbaka Dasharath goud S/o Karrenna	Padava (Fallow)	544	Ac 0-03 Gts	Basar
			Total	Ac 0-10.75 Gts	

[F. No. W.Con.182/SRP-06/MUE-DHNE/23-24/247/20A/16072026]

MOHIT VERMA, Chief Engineer/Con-V